महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Government of Uttar Pradesh; **NAAC A++ Accredited**; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि. / सम्बद्धता / 2024 / 8645–49

दिनांक : 09.07.2024

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव / प्राचार्य,
एल0 पी0 एस इंस्टीट्यूशन
आंवला, बरेली।

विषय– **एल0 पी0 एस इंस्टीट्यूशन, आंवला, बरेली को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कलासंकायान्तर्गत बी0ए0 (चित्रकला, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी व अंग्रेजी) , वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0कॉम0 तथा विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एस–सी0 (भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान व गणित) पाठ्यक्रम / विषयों में स्थायी सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब–1145 / सत्तर–2–2014–16(258) / 2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 09.07.2024 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था– **एल0पी0एस इंस्टीट्यूशन, आंवला,बरेली को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कलासंकायान्तर्गत बी0ए0 (चित्रकला, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी व अंग्रेजी) , वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0कॉम0 तथा विज्ञान संकायान्तर्गत (भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान व गणित)** पाठ्यक्रम / विषयों में **सत्र 2024–25 से स्थायी सम्बद्धता** की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त / निम्न कमियों / शर्तो की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

1. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षको के अनुमोदन / नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित प्रावधानों / उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
3. संस्थान / महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों प्राचार्य / प्रवक्ताओं की नियुक्ति / अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर अतिशीघ्र विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाये, जिससे नवीन सत्र की कक्षायें अविलम्ब संचालित हो सके। संस्थान / महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि वह सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख / सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
5. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।
6. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
7. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।
8. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के पत्र संख्या 332 / सत्तर–3–2018 दिनांक 26 फरवरी, 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन का निर्माण भूकम्प रोधी होना चाहिए।
9. विधि पाठ्यक्रम में बार काउंसिल आफ इण्डिया से सीटों की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही महाविद्यालय द्वारा छात्रों का प्रवेश किया जायेगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियंत्रक।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली–मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
4. समन्वयक ऑनलाइन प्रवेश / प्रभारी केन्द्रीय कम्प्यूटर केन्द्र।
5. निजी सचिव, कुलपति ।

कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY,

पत्रांक : रू.वि. / सम्ब. / 2021 / 8462-65 दिनांक: 21.08.2021

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव
एल0पी0एस0 ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एण्ड मेडिकल साइस,
आंवला, बरेली

विषयः एल0पी0एस0 ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एण्ड मेडिकल साइस, आंवला, बरेली, को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 (ड्राइंग व पेन्टिग, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र, हिन्दी व अंग्रेजी), विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एस–सी0 (मैथ व बायो ग्रुप)** तथा वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0कॉम0 पाठ्यकम / विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालयको प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब–1145 / सत्तर–2–2014–16(258) / 2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यकम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 21.08.2021 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था **एल0पी0एस0 ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एण्ड मेडिकल साइस, आंवला, बरेली, को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 (ड्राइंग व पेन्टिग, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र, हिन्दी व अंग्रेजी) (प्रत्येक विषय में 60 सीट) विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एस–सी0 (मैथ व बायो ग्रुप) (प्रत्येक ग्रुप में 60 सीट) तथा वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0कॉम0 (60 सीट)** पाठ्यकम / विषयों में **सत्र 2021–22 से तीन वर्ष हेतु प्रबन्ध समिति / प्राचार्य / प्रवक्ताओं की नियुक्ति एवं अनुमोदन वांछित रहने के द्रष्टिगत अस्थायी सम्बद्धता** की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त कमियों / शर्तो की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

01 महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के संबध में निर्गत शासनादेश सं0 522 / सत्तर–2– 2013–2(650) / 2012 दिनाक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।

02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित प्रावधानों / उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

03. संस्थान / महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों प्राचार्य / प्रवक्ताओं की नियुक्ति / अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर अतिशीघ्र विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाये, जिससे नवीन सत्र की कक्षायें अविलम्ब सचालित हो सकें। संस्थान / महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि वह सम्बद्धता की शर्ते पूरी कर रहा है।

04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सबधित अभिलेख / सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतत्र का होगा।

05. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।

06. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।

07. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।

08. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के पत्र संख्या 332 / सत्तर–3–2018 दिनाक 26 फरवरी, 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन का निर्माण भूकम्प रोधी होना चाहिए।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0रू0वि0वि0, बरेली।
02. परीक्षा नियंत्रक को अग्रिम कार्यवाही हेतु
03. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
04. निजी सचिव, कुलपति ।
05. प्रभारी, केन्द्रीय कम्पयूटर सेन्टर / प्रभारी, विश्वविद्यालय बेवसाइट।

कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
A State University-Govt. of Uttar Pradesh, NAAC A++ Accredited, ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि. / सम्ब. / 2025 / 521-522 दिनांक : 30.06.2025

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव,
एल.पी.एस. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एण्ड मेडिकल साइंस,
ऑवला, बरेली।

विषय :— बी.एस.सी. पाठ्यक्रम में सत्र 2025—26 से गणित एवं बायो ग्रुप में एक—एक अतिरिक्त सेक्शन की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक में अपने पत्र संख्या शून्य दिनांक 04.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का का कष्ट करें जिसके द्वारा आपने अपने महाविद्यालय में बी. एस.सी. पाठ्यक्रम के अन्तर्गत गणित एवं बायो ग्रुप में एक एक अतिरिक्त सेक्शन दिये जाने का अनुरोध किया गया था। आपके उक्त अनुरोध के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल की आख्या के आलोक में कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 26.06.2025 के अनुपालन में आपके महाविद्यालय में बी.एस.सी. गणित एवं बायो ग्रुप में पूर्व में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त एक—एक सेक्शन (60—60 सीटों) की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :— निजी सचिव कुलपति को मा. कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

- पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में दर्शाई गई भूमि का विवरण:

sr.	Gata/plot no	Area(SQM)	Bhumi Address
1	513	5028	AONLA

पर निर्मित भवन में ही किया जाएगा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर संचालित किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

2- यह अनापत्ति समिति के नामित सदस्य, उपजिलाधिकारी, Bareilly की भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट/संस्तुति दिनांकः 30/06/2021 के आधार पर निर्गत की जा रही है तथापि महाविद्यालय के नाम भूमि के विधितः अंकित होने एवं भूमि/गाटों की संयुक्तता आदि में विसंगति की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।

3- उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब संस्था शासनादेश सं०-3075/सत्तर-2-2002-2 (166)/2002 दिनांक 27.09.2002 एवं समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।

4- उक्त संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो विश्वविद्यालय एवं न ही राज्य सरकार से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई देनदारी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की होगी।

5- पाठ्यक्रम के संचालन पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से किसी प्रकार सहायता/राजसहायता की मांग नहीं की जाएगी।

6- संस्था द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में भविष्य में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा और अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।

7- शासनादेश संख्याः-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांकः 09.08.2012 के अन्तर्गत प्राप्त अनापत्ति पर/सम्बद्धता प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त को सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रचलित वर्ष के 31 दिसम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले अनापत्ति/निर्बाधन (क्लीयरेन्स) प्रस्ताव पर सम्बद्धता की पूर्वानुमति अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र से देय होगी।

8- विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जाएगी। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि प्रवेश किये जाते है तो ऐसे प्रवेश वैध नहीं होगें तथा इसके सम्बन्ध में कोई भी दावा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेखों/प्रपत्रों के आधार पर प्रदान की जा रही है, यदि इसमें भविश्य में कोई परिवर्तन होता है, तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।

कुल सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
4. प्रबन्धक/सचिव, L P S INSTITUTION AONLA BAREILLY
5. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

कुल सचिव

ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफ्फिलिएशन सिस्टम **ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM**

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BARELLI

BARELLI-243006

सन्दर्भ संख्या:NOCMJRU/संब/अनापत्ति/005/2021 **दिनांकः22/07/2021**

अनापत्ति पत्र- प्रस्तावित महाविद्यालय

शासनादेश संख्या-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांकः 09.08.2012 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा शासनादेश संख्या-1963/सत्तर-2-2013-16(165)/2012 टीसी दिनांकः 11.12.2013, शासनादेश संख्या-710/सत्तर-2-2014-16(165)/2012 टी०सी०, दिनांकः 14 नवम्बर, 2014 एवं शासनादेश संख्याः-23/2016/772/सत्तर-2-2016-16(116)/2015 टी०सी०-।। दिनांकः 22 दिसम्बर, 2016 के क्रम में अनापत्ति समिति की बैठक दिनांकः 22/07/2021 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत संचालक सोसाइटी SAMAJIK JANKALYAN SHIKSHA SAMITI VILL AND POST LABHARI AONLA द्वारा प्रस्तावित L P S INSTITUTION AONLA BAREILLY को UG स्तर पर

	Course Name	Subject Name
1	BACHELOR OF ARTS	DRAWING & PAINTING
2	BACHELOR OF ARTS	EDUCATION
3	BACHELOR OF ARTS	HOME SCIENCE
4	BACHELOR OF ARTS	POLITICAL SCIENCE
5	BACHELOR OF ARTS	SOCIOLOGY
6	BACHELOR OF ARTS	HINDI
7	BACHELOR OF ARTS	ENGLISH
8	BACHELOR OF COMMERCE	COMMERCE
9	BACHELOR OF SCIENCE	BOTANY
10	BACHELOR OF SCIENCE	CHEMISTRY
11	BACHELOR OF SCIENCE	MATHEMATICS
12	BACHELOR OF SCIENCE	PHYSICS
13	BACHELOR OF SCIENCE	ZOOLOGY

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों के कार्यालयी परीक्षण एवं शासनादेश दिनांकः 09.08.2012 के क्रम में उपजिलाधिकारी Bareilly (जिलाधिकारी, Bareilly के नामित सदस्य) के पत्रांकः 89/जाच- L P S INSTITUTION AONLA BAREILLY / 2021 दिनांकः 30/06/2021 के आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है-